मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

कार्यालय ज्ञाप

संख्याः
दिनांकितः

विषयः रैंकर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत) हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण।

उ0प्र0 उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक ना0पु0 सेवा नियमावली–2008 के नियम 18 के अन्तर्गत उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नत को पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

नियम 18(1) उपनिरीक्षक के पद पर नियम–15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों से उनकी नियुक्ति से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर यथा विहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। विहित प्रशिक्षण का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात विभागाध्यक्ष अपेक्षित संख्या में नामों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा। "

अतः उक्त नियमावली के अन्तर्गत एवं पूर्व में जारी आदेशों को अवक्रमित करते हुए रैंकर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत) हेतु प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिए निम्नवत् पाठयक्रम निर्धारित किया जाता हैः–

2. सामान्य व्यवस्था –

(क)– समस्त प्रशिक्षु मुख्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित की गई तिथि व समय तक प्रशिक्षण केन्द्र में अनिवार्यतः आमद कर लेंगे। किसी भी दशा में देरी से आगमन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ख)– चिकित्सीय परीक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में आगमन किये जाने के उपरान्त समस्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपने साथ लाये गये मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक स्वस्थता चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण संस्थान में आगमन के समय प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वस्थ्य होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र होगा, जैसे गंभीर बीमारी उच्च रक्तचाप, शुगर, स्वांश, पथरी इत्यादि रोग का विवरण होगा।

(ग)– रैंकर उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण केन्द्र में आगमन के पूर्व ही एक **स्वागत कक्ष** की स्थापना की जायेगी, जिसमें एक पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो प्रशिक्षुओ को निर्धारित आवास, भोजनालय, कैन्टीन, स्नानागार, शौचालय, मनोरंजनगृह, पुस्तकालय, वाचनालय, परेड ग्राउण्ड, अधिकारियों के कार्यालय व आवास, चिकित्सालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र की जानकारी देगा

(घ)– प्रशिक्षुओं के आगमन के समय परिचय पत्र देखा जायेगा एवं जनपद के अधिकृत पत्र पर ही आमद की जायेगी।

(च)– समस्त प्रशिक्षुओं के आगमन के प्रथम सप्ताह के प्रारम्भ में एक कार्य दिवस में जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण केन्द्र के समस्त भवनों इत्यादि का भ्रमण भी कराया जायेगा व समस्त कार्यालयों के विषय में जानकारी करायी जायेगी।

(छ)– इसी अवधि में प्रशिक्षुओं के आगमन के पश्चात् एक किट परेड करायी जायेगी, जिसे सैन्य सहायक/प्रतिसार निरीक्षक द्वारा चैक किया जायेगा। कमी होने पर प्रशिक्षण के लिये उपयोगी वर्दी/वस्तुओं की सम्पूर्ति हेतु एक सप्ताह का समय दिया जायेगा।

3. आवास –

प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश हेतु बल्ब, सीएफएल, पंखे तथा पलंग/तख्त की व्यवस्था की जायेगी। किसी प्रशिक्षु को निर्धारित छात्रावास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. भोजन व्यवस्था –

समस्त प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना होगा। किसी भी दशा में अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भोजन व्यवस्था के लिए आगमन के समय ही मेस एडवांस के रूप मे प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा समय–समय पर अनुमोदित धनराशि प्रशिक्षुओं से जमा करायी जाायेगी। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रभारी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रदान की जायेगी तथा दीक्षान्त समारोह के उपरान्त देय धनराशि की कटौती कर शेष धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

भोजन करते समय भोजनालय में लुंगी, गमछा, आदि नहीं पहना जायेगा। निर्धारित की गयी पोशाक ही पहनी जायेगी। भोजन, भोजनालय में निर्धारित स्थान

पर बैठकर किया जायेगा। भोजनालय से भोजन ले जाकर छात्रावास में या अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

संस्था प्रमुख, संस्था कटिंग के रूप में हास्टल मेन्टीनेन्स फण्ड तथा वैकल्पिक ऊर्जा हेतु इन्वर्टर/जेनरेटर फण्ड की स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्धता एवं दरों के आधार पर सर्व सहमति से उचित कटौती करेंगे। इसके अतिरिक्त नाई, धोबी, एवं मोची आदि की सेवाओं से संतुष्ट होने पर कैडेटस के द्वारा कन्जूमरेबिल चार्ज सीधे भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में सभी प्रशिक्षुओं को आगमन पर ही सूचित कर देंगे। मैस प्रबन्धन एवं संचालन का कार्य प्रशिक्षुओं में से ही चयनित उपनिरीक्षक द्वारा किया जायेगा । यू0ए0एफ0 में अंशदान सभी संस्थाओं में एक सा रहेगा। सभी संस्थाओं में विद्यमान परम्परा के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त करके प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दर तय की जायेगी।

5. दिवसाधिकारी –

प्रत्येक प्रशिक्षण व्यवस्था पर प्रतिदिन एक बाह्य विषय का प्रशिक्षक, दिवसाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जिसका कर्तव्य होगा कि वह प्रशिक्षुओं से भोजन के समय, भोजन व्यवस्था में दिये गये निर्देशों का पालन कराये तथा विद्यालय के समय प्रशिक्षुओ को एकत्रित कर गणना उपरान्त विद्यालय में पहुचायें।

6. प्रशिक्षण व्यवस्था –

उत्तर प्रदेश पुलिस रैंकर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अंकित बिन्दुओं के अनुसार अन्तः एवं वाह्य विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक सैक्शन हेतु एक क्लास रूम निर्धारित किया जायेगा।

7. पुस्तकालय एवं वाचनालय –

प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में समाचार पत्र, पत्रिकाओं की व्यवस्था होगी।

8. मनोरंजन –

प्रत्येक छात्रावास में एक मनोरंजन कक्ष अवश्य होगा, जहॉ पर प्रशिक्षुओं के मनोरंजन के लिए टेलीविजन, पठन–पाठन हेतु आवश्यक पुस्तकें, समाचार–पत्र पढ़ने की सुविधा रहे तथा कैरम बोर्ड, शतरंज, टेबिल–टेनिस इत्यादि खेलों की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओं को अलग से सप्ताह में एक दिन फिल्म दिखाई जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक छात्रावास में भी समाचार पत्र पाठन हेतु उपलब्ध कराये जाएंगे।

9. सूचना पट्ट –

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओ के छात्रावास के निकट तथा किसी एक अन्य उपयुक्त स्थान पर एक सूचनापट्ट की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षुओ से संबंधित सूचनायें तथा आवश्यक आदेश–निर्देश चस्पा किये जायेंगे।

10. सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका –

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रावास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी, जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा किया जायेगा। सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका की चाबी संस्था प्रमुख के पास रहेगी।

11. मासिक सम्मेलन –

प्रत्येक माह संस्था प्रभारी द्वारा मासिक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा, जिसमें प्रशिक्षुओं के कल्याण सम्बन्धी वार्ता होगी एवं प्रशिक्षुओं से इनके सम्बन्ध में सुझाव/शिकायतों की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

12. परिधान –

प्रशिक्षुओं को मौसम के अनुसार परेड एवं प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित वर्दी पहननी होगी। प्रायः प्रशिक्षण केन्द्रों पर वर्दी, खेलों में पहनने के लिए नेकर, टी–शर्ट, अंगोला शर्ट, गर्म वर्दी की सिलाई इत्यादि को लेकर गंभीर शिकायतें प्राप्त होती हैं अतः यह स्पष्ट निर्देश निर्गत किये जाते हैं कि इस सब का निर्णय प्रशिक्षु ही करेंगे परन्तु संस्था द्वारा मात्र एकरूपता सुनिश्चित की जाएगी व प्रशिक्षुओं को वर्दी सिलवाने, कपड़ा उपलब्ध कराने में, उनके अनुरोध पर मात्र सहायक की भूमिका में रहेंगे।

13. खेलकूद –

प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। इसके लिये अंशदान नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी खेलकूद के लिए बॉलीबाल, फुटबॉल तथा तैराकी आदि हेतु व्यवस्था करेंगे। उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं को मोटर साइकिल/ जीप ड्राइविंग प्रशिक्षण हेतु संस्था द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

14. अवकाश –

(अ) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षणार्थी को सामान्य रूप से कोई आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रभारी द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। **सम्पूर्ण प्रशिक्षण**

अवधि में प्रशिक्षुओं को अधिकतम 03 आकस्मिक अवकाश देय होगा। संस्था प्रभारी अपने विवेक से इससे अधिक सामूहिक अवकाश दिये जाने के लिये अधिकृत होगे, जिससे प्रशिक्षण बाधित न हो क्योंकि प्रशिक्षण अवधि 45 दिवस है, अतः अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किया जाए।

(ब) मुरादाबाद स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों के कैडेटों को केन्द्रीय पुलिस चिकित्सालय मुरादाबाद तथा अन्य केन्द्रों के कैडेट्स को जनपद के किसी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये विश्राम अवकाश को देय अवकाश में परिवर्तित करने पर विचार किया जायेगा। मेडिकल या अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने की दशा में कैडिट के लियन के प्रभारी अधिकारी को सेवा अभिलेखों में अवकाश का विवरण अंकित किये जाने हेतु वांछित सूचना भेजी जायेगी। जितने भी कालांश कैडेट बीमार होने के कारण नहीं कर सका है, उनके लिए अतिरिक्त कालांशों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रशिक्षण प्रभावित न हो तथा अभिप्रायपूर्वक चिकित्सीय अवकाश प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।

(स) पूरे प्रशिक्षण काल में 05 दिवस से अधिक किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षार्थी को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रशिक्षुओं की परीक्षा **अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के साथ 10 दिवस** के अतिरिक्त प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित परीक्षा के समय ली जायेगी। किसी भी कारण से यदि किसी प्रशिक्षु की प्रशिक्षण से **अनुपस्थित अवधि 10 दिन या उससे अधिक होती** है तो प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उस प्रशिक्षु को **वापस कर देंगे** व उस प्रशिक्षु को अगले प्रशिक्षण सत्र में शामिल किया जायेगा।

15. महिला प्रशिक्षु द्वारा गर्भ धारण –

(1) महिला प्रशिक्षु द्वारा इस बात के लिये समस्त संभव सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए कि वह प्रशिक्षण के दौरान गर्भ धारण न करें। यदि गर्भवती हैं तो इसकी सूचना प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख को तत्काल दे दें।

(2) प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख ऐसी महिला प्रशिक्षु को प्रशिक्षण जारी नहीं रखने देंगे एवं उनको घर भेजे जाने की व्यवस्था करेंगे।

(3) ऐसी गर्भवती महिलाओं को शेष प्रशिक्षण उनके प्रसूति के एक वर्ष बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र के साथ कराया जायेगा।

16. श्रमदान, साज सज्जा एवं वृक्षारोपण –

प्रशिक्षुओं से श्रमदान एवं वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार को पूर्वान्ह में ही कराया जायेगा, जिसमें उनसे परेड ग्राउण्ड, बैरक एरिया, क्वार्टर गार्द, गार्डेन आदि की सफाई व रख–रखाव का कार्य कराया जा सकेगा। कार्य दिवसों में वाह्य एवं अंतः विषयों के कालाशों में कोई श्रमदान एवं वृक्षारोपण किसी भी दशा में नहीं कराया जायेगा। किसी भी अधिकारी के आवासीय परिसर इत्यादि में श्रमदान पूर्णतः वर्जित होगा।

17. पुरस्कार –

प्रशिक्षण की समाप्ति अन्तरिक सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर बैस्ट इण्डोर स्वर्ण पदक एवं प्रमाण–पत्र, बाहय विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर बैस्ट आउट डोर स्वर्ण पदक एवं प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम तीन सर्वोत्तम सर्वांगीण प्रशिक्षुओं को स्वर्ण, रजत एवं कॉस्य पदक के साथ एक प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा।

18. पर्यवेक्षण –

प्रशिक्षुओ को निर्धरित पाठयक्रम के अनुसार संस्था प्रभारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक संस्था प्रमुख द्वारा चयनित एक राजपत्रित अधिकारी प्रशिक्षण का प्रभारी होगा। आन्तरिक विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु प्रभारी इन्डोर उत्तरदायी होंगे तथा वाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु सैन्य सहायक उत्तरदायी होंगे।

19. आन्तरिक विषय के प्रशिक्षकों के लिए निर्देश –

1. संस्था प्रमुख प्रत्येक 07 दिवस का टाइम टेबिल (समय सारणी) तैयार कराकर जारी करेंगे।
2. प्रशिक्षण में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय।
3. प्रत्येक कालांश के लिये उच्च कोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले ही तैयार कर लें। जो भी प्रशिक्षक अथवा अतिथि प्रवक्ता कोई भी कक्षा लेंगे, उसके पूर्व, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक सारांश बनाकर इण्डोर प्रभारी को पहले ही उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम के अनुसार ही चले तथा प्रत्येक कालांश में क्या पढ़ाया जाना है, वह विषय अवश्य पढ़ा दिया जाए।

4. विषय वस्तु स्लाइड व पिक्चर पर तैयार करें एवं पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें।
5. प्रशिक्षणार्थी को व्यवहारिक ज्ञान, सुरक्षा डियूटी, घटना स्थल निरीक्षण, विवेचना आदि कराने से पूर्व मौलिक सिद्धान्त समझायें।
6. ऐसे प्रश्न तैयार किये जायें जिसके उत्तर में पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों।
7. प्रत्येक विषय की पाठ्य सामग्री हेतु प्रशिक्षणार्थी का मार्गदर्शन करें।
8. सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख–रखाव भी साफ–सुथरा हो।
9. प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात् संदेहों को दूर करें।
10. कमजोर प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दें तथा तेजस्वी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ायें।
11. कोई भी प्रशिक्षक/अतिथि प्रवक्ता कक्षा में न तो मोबाइल लेकर जाएंगे और न ही मोबाइल पर कोई वार्ता करेंगे, न ही किसी प्रशिक्षु को कक्षा में मोबाइल लेकर जाने की अनुमति होगी। मोबाइल को साइलेन्ट मोड पर करके रखने की अनुमति भी कतई नहीं होगी।
12. कोई भी प्रशिक्षु कक्षा में गुटखा, पान मसाला, पान इत्यादि का सेवन किसी भी दशा में नहीं करेगा।
13. कोई भी प्रशिक्षु क्लास छोड़कर, क्लास के समय किसी भी दशा में बाहर नहीं घूमेगा तथा यदि घूमता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

20. <u>प्रयोगात्मक</u> –

इसके अन्तर्गत पंचायतनामा भरने, घटनास्थल का मानचित्र बनाने, फर्द खाना तलाशी, फर्द जामा तलाशी, फर्द बरामदगी, पंचायतनामा के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी के लिये निर्देश, केस डायरी लेखन, वाहन की तलाशी आदि का व्यवहारिक ज्ञान कराया जायेगा।

21. <u>बाह्य विषयों के प्रशिक्षकों के लिए निर्देश</u> –

1. सही वर्दी धारण करें जिससे फुर्तीलापन (स्मार्टनेस) प्रदर्शित हो सके एवं उसका रख–रखाव साफ–सुथरा हो।
2. प्रशिक्षुओं में आत्म सम्मान की भावना जागृत की जाये। उनके आत्म सम्मान को ठेस न पहुँचायी जाये।
3. पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा उसे निर्धारित अवधि में मोटे तौर पर विभाजित करें।

4. पाठ को सुविधाजनक भागों (कालांशों) में विभाजित करें।
5. विषय के अनुसार हिन्दी में व्याख्या करें।
6. अपनी व्यक्तिगत Body movements द्वारा नमूना दें।
7. विभिन्न हरकतों को एक–एक करके प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से कराया जाय, ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।
8. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की त्रुटियों को सही करें। अनावश्यक टीका– टिप्पणी न करें। सही क्या है, जब तक प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी उससे भिज्ञ न हो जाय, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालांश में प्रशिक्षत करें।
9. किसी प्रशिक्षणार्थी को खराब हरकत करने की अनुमति कभी भी न दें।
10. वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों में दें।
11. शारीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें, जो उसके पूरे जीवन के लिये लाभकारी हों।
12. खेल, तैराकी, एथलैटिक व कठिन बाधाओं को पार करने में रूचि उत्पन्न करायें।
13. प्रशिक्षणार्थियों की रूचि के अनुसार जूडो/कुश्ती/ बाक्सिंग/कराटें आदि विभाजित कर टोलियों में आयोजित करायें।
14. वाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु सैन्य सहायक उत्तरदायी होंगे।

22. अनुशासन संबंधी निर्देश –

1. प्रशिक्षणार्थी का आचरण उच्चकोटि का होना चाहिए, जिससे संस्था में अनुशासन सुदृढ़ रहे।
2. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी संस्था के सभी कार्यक्रमों में समयबद्धता एवं नियमों का ध्यान रखेंगे।
3. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी व्यक्तिगत सफाई, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, मर्यादा और सत्यनिष्ठा का विकास करेंगे।
4. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपने सहयोगियों, संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं अतिथियों के साथ संस्था के भीतर व संस्था के बाहर शिष्ट व्यवहार करेंगे।
5. भोजनालय, मनोरंजन कक्ष, छात्रावास आदि में जोर से म्यूजिक न बजायें और न ही जोर–जोर से बात करें।
6. संस्था में धूम्रपान करना सख्त मना है। छात्रावासों में मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होगा।
7. प्रशिक्षणार्थी वरिष्ठ अधिकारियों से पत्र व्यवहार उचित माध्यम से ही करेंगे।

8. क्लास में सेशन प्रारंभ होने के पूर्व अपनी सीट पर बैठ जाएं। क्लास में सैशन प्रारंभ होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
9. प्रशिक्षणार्थी कक्षा में अपना नोट स्वयं तैयार करें, जो पाठ्य सामग्री प्रवक्ताओं द्वारा दी जाए, उसे संभाल कर रखें।
10. प्रशिक्षणार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे बहुमूल्य आभूषण और अधिक नकदी छात्रावास में न रखें, बल्कि बैंक/पोस्ट ऑफिस में रखें।
11. बाह्य प्रशिक्षण के दौरान आभूषण पहनना मना है।
12. किसी आपात स्थिति में अन्तः प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रशिक्षणार्थी को अन्तः प्रशिक्षण भवन से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह संस्था प्रमुख/ प्रभारी इण्डोर शाखा से अनुमति प्राप्त करेंगे।
13. प्रशिक्षण केन्द्र परिसर से बाहर बिना अनुमति के जाना वर्जित है। अवकाश के दिन सैन्य सहायक की पूर्व अनुमति से ही प्रशिक्षणार्थी अनुमति के समय के अनुसार जा सकते हैं। नगर से बाहर जाने के लिए नियमित रूप से संस्था प्रमुख/प्रधानाचार्य से अवकाश अथवा सार्वजनिक अवकाश के दिन स्टेशन लीव लेकर ही प्रशिक्षण केन्द्र से प्रस्थान किया जाएगा।
14. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी संस्था के नियमों व संस्था के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करेगा।
15. अनुशासन भंग करने पर, जिसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति, अनुमति के बिना प्रशिक्षण केन्द्र से बाहर जाना तथा अवज्ञा सम्मिलित है, में यथा उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। अनुशासनिक प्रकरणों में अतिरिक्त परेड, प्रशिक्षण केन्द्र से बाहर प्रस्थान तथा अवकाश सुविधा पर अस्थायी रूप से रोक लगाकर दण्डित किया जा सकता है।
16. गम्भीर अपराध अथवा घोर अनुशासनिक मामलों में संस्था के प्रभारी द्वारा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

23. पाठयक्रम का कालांश विभाजन –

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम का कालांश आंकलन –

क्र0सं0	विवरण	अवधि
1.	प्रशिक्षण अवधि	1 माह 15 दिवस
2.	कुल दिवस	45 दिवस
3.	समयावधि में अवकाश	10 दिवस
4.	अंतः विषयों की अन्तिम वस्तुनिष्ठ परीक्षा/बाह्य विषयों की अंतिम परीक्षा	05 दिवस
5.	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कार्य दिवस	30 दिवस

(ख) अंतः विषय के संपूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण –

एक कालांश की अवधि– 40 मिनट

प्रतिदिन कालांश– 8

कुल कालांश– 30 X 8 = 240

क0सं0	अन्तः विषय	कालांश	पूर्णांक
1	प्रथम समूह–विधि प्रथम भारतीय न्याय संहिता (BNS) /भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)/ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)	58	60
2	द्वितीय समूह–विधि द्वितीय–केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य के अधिनियम तथा केस लॉ	58	60
3	तृतीय समूह–कानून एवं व्यवस्था, पुलिस रेगुलेशन	38	40
4	चतुर्थ समूह–अपराध निरोध, विवेचना एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण	48	50
5	पंचम समूह–विधि विज्ञान, विधि औषधि, पुलिस संवेदीकरण तथा कम्प्यूटर	38	40
	योग	**240**	**250**

(ग) बाह्य विषय के संपूर्ण कालांशों एवं अंको का विवरण –

एक कालांश की अवधि– 40 मिनट

प्रतिदिन कालांश–02

कुल कालांश– 30 X 2 = 60

क0सं0	बाह्य विषय	कालांश	पूर्णांक
1	पीटी (शारीरिक प्रशिक्षण)	26	50
2	योगासन	26	50
3	शस्त्र प्रशिक्षण	8	–
	योग	**60**	**100**

नोटः शस्त्र प्रशिक्षण की अन्तिम परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।

24. अंतिम परीक्षा का स्वरूप एवं मूल्यांकन

(1)– अन्तः विषयों की अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की ही होगी। इस परीक्षा में 05 समूहों के अलग–अलग प्रश्न–पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा इसके लिए समय डेढ़ घण्टा होगा। प्रतिदिन एक विषय में परीक्षा आयोजित करायी जाएगी।

(2)– अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं को संबंधित विषयों के 10 दिवस के पूरक प्रशिक्षण के उपरांत उन्हीं विषय/विषयों की पूरक परीक्षा में

सम्मिलित किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण होनें पर 03 माह स्वाध्याय के बाद पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) उत्तर प्रदेश द्वारा गठित बोर्ड द्वारा मौखिक साक्षात्कार लिया जायेगा। उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

(3)– उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं वाह्य विषयों के प्रत्येक समूह में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

नोटः–संस्था प्रभारी द्वारा पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को अपने स्तर से प्रशिक्षुओं के आचरण, प्रशिक्षण में ली गई रूचि एवं सम्पूर्ण मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक विषय में 05 अंकों तक कृपांक (Grace Marks) अपने विवेकानुसार दिया जा सकता है।

(4)–प्रशिक्षण की अन्तिम परीक्षा में श्रेष्ठता क्रम का निर्धारण वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार किया जायेगा–

(क) प्राप्तांको के आधार पर।

(ख) प्राप्तांक समान होने पर भर्ती की वरिष्ठता के आधार पर।

(ग) प्राप्तांक एवं भर्ती की तिथि समान होने पर जन्मतिथि में वरिष्ठता के आधार पर

(घ) पूरक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का श्रेष्ठताक्रम सबसे नीचे क्रमशः उपरोक्त के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

क0सं0	विवरण	अंक
1	अन्तः कक्षीय विषयों के कुल अंक	250
2	बाह्य विषयों के कुल अंक	100
3	साक्षात्कार के अंक	50
	कुल योग	**400**

(5)–(क) साक्षात्कार हेतु निर्धारित **50 अंक** संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षार्थी का अनुशासन, प्रशिक्षण के मध्य प्राप्त पुरस्कार, संस्था के लिए उसके योगदान एवं अतिरिक्त उत्तरदायित्वों (मैस मैनेजर, टोली कमांडर, कक्षा मॉनीटर) एवं व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर दिये जायेंगे।

(ख) **निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहीनता क दृष्टान्तों पर उक्त अंकों में से ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे–**

1. चारित्रिक पतन 50 अंक
2. विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश। (02 अंक प्रतिदिन की दर से) 20 अंक (अधिकतम)

3.	सिक, रेस्ट, अस्पताल दाखिल (1/2 अंक प्रतिदिन की दर से)	20 अंक (अधिकतम)
4.	प्रत्येक अवज्ञा/गम्भीर अनुशासनहीनता	10 अंक
5.	(आदेश कक्ष) अर्दली रूम में दण्ड (02 अंक प्रत्येक दंड की दर से)	10 अंक (अधिकतम)
6.	प्रत्येक डिफाल्टर/चेतावनी	02 अंक

25. पाठयक्रम आंतरिक विषय

(क)– प्रथम समूह– विधि प्रथम (भरतीय न्याय संहिता–2023/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023/भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023)

कुल कालांशः 58 **पूर्णांकः 60**

भारतीय न्याय संहिता–2023

कालांशः 24

भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता–2023 के संबंध में तुलनात्मक विवरण

अध्याय– 01	धारा 2 परिभाषायें– धारा 2(3), 2(8), 2(10), 2(21), 2(39) धारा धारा 3(3), धारा 3(5)
अध्याय– 02	धारा 4 दण्ड– धारा 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), 4(ङ), 4(च) धारा 6 दण्ड की अंश अवधि (Fraction of terms of punishment)
अध्याय –03	साधारण अपवाद (General Exceptions)–धारा 14 से 144 तक
अध्याय– 04	दुष्प्रेरण आपराधिक षडयंत्र और प्रयास के विषय में–धारा 45 से 62 तक
अध्याय– 05	महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराधों के विषय में– धारा 63 से 99 तक
अध्याय– 06	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में–धारा 100, से 146 तक
अध्याय– 07	राज्य के विरूद्ध अपराधों के विषय में–धारा 156, 157, 158 से 152 तक
अध्याय– 10	सिक्कों, करेंसी, नोटो, बैंक नोटो, सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराध–धारा 178 से 182 तक
अध्याय– 11	लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराधों के सम्बन्ध में–धारा 189 से 197 तक

अध्याय–12	लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में–धारा 198 से 205 तक
अध्याय–13	लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में–धारा 209, 217, 223, 226
अध्याय–14	धारा 248(ख)
अध्याय–15	लोक स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में–धारा 274 से 278, 281, 294, 296
अध्याय–17	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध–धारा 303 से 319 तक धारा–324 से 326, 329 से 336 तक, 338
अध्याय–19	अपराधी अभित्रास, अपमान, क्षोभ के विषय में–धारा 351 से 353, 355, 356 धाराएं जिनमें न्यूनतम दण्ड की अनिवार्य सजा प्रावधानित है–धारा 95, 99, 105, 112(2), 113, 117(3), 118(2), 121(2), 139(1), 139(2), 204, 303(2), 310(3), 314, 320 सात वर्ष से अधिक दण्डनीय नए अपराध–धारा 106(2), 117(3), 118(2), 144(1), 248(ख)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023

कालांश: 26

अध्याय–1	(परिभाषा) धारा 2(1) (A) से 2(1) (Z) तक, धारा 2(2)
अध्याय–3	(न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है)– धारा 23 (सामुदायिक सेवा से तात्पर्य)
अध्याय–4	(वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ)– धारा 30
अध्याय–5	(व्यक्तियों की गिरफ्तारी)–धारा 35 से 62 तक
अध्याय–6	(समन)–धारा 63, 64,(1), 65(2), 70, 71, गिरफ्तार वारंट धारा–82 उद्घोषणा एवं कुर्की धारा–84 से 86 तक
अध्याय–7	(दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन) धारा 94, 95 तलाशी वारंट–धारा 97, 101, 103 से 107 तक
अध्याय–9	(परिशांति स्थापित करने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति) धारा 126 से 129, 135, 136
अध्याय–11	(लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना) धारा 148, 149, लोक न्यूसेंस धारा–152, 163, धारा–164 से 166 तक
अध्याय–12	(पुलिस का निवारक कार्य)– धारा 168 से 172 तक
अध्याय–13	(पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ)–धारा 173 से 196 तक (188 को छोड़कर)
अध्याय–14	(जांचों और विचारणों में दण्ड न्यायालय की अधिकारिता)–धारा 208, 209

अध्याय–15 (कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें) धारा 218
अध्याय–25 (जांचों और विचारणों में साक्ष्य)–धारा 316, 330, 336
अध्याय–26 (जांचों तथा विचारों के बारे में उपबन्ध)–धारा 346, 349, 355, 356, 360
अध्याय–34 दण्डादेश का निलंबन परिहार और लघुकरण–धारा 472
अध्याय–35 (जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध)–धारा 478 से 483 तक
अध्याय–36 (सम्पत्ति का व्ययन)–धारा 497, 505
अध्याय–38 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा–धारा 513, 514, 515
अध्याय–39 (प्रकीर्ण)–धारा 530(इलैक्ट्रानिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023

कालांश : 08

अध्याय–1 (परिभाषा)–धारा 1 व 2
अध्याय–2 धारा 4 से 9 तक धारा 15, धारा 22–24, 26, 29, 31, 32, 39
अध्याय–4 (मौखिक साक्ष्य के विषय में)–धारा 54
अध्याय–5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में)–धारा 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 73, 78, धारा 80 व धारा 81 का स्पष्टीकरण, धारा 85, 86, 87, 90, 92, 93
अध्याय–7 (सबूत के भार के विषय में)–धारा 104 से 111 तक धारा 117 से 120 तक
अध्याय–9 (साक्ष्यों के विषय मे)– धारा 124, 125, 131, 138, 165

(ख)– द्वितीय समूह–विधि द्वितीय (केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य के अधिनियम तथा केस लॉ)

कालांश : 58 **पूर्णांक : 60**

केन्द्रीय विविध अधिनियम

कालांश : 24

1. पुलिस अधिनियम 1861 महत्वपूर्ण धारायें 23 से 31 तक, 34
2. पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधि0–1966 धारा 2 (परिभाषायें) 3 एवं 5

3. आयुध अधिनियम 1959 महत्वपूर्ण धारायें 2, 3 से 6, 7, 9, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 37 से 39 (यथा संशोधित वर्ष 2019)
4. भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 4, 5, 9 से 13
5. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम–1908 धारा 1 से 7
6. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 2 से 7, 12, 13, 15, 17
7. विधि विरूद्ध गतिविधियॉ (निवारण) अधि0 1967(यथा संशोधित 2004) धारा 1 से 3, 7, 8, 10 से 14, 15 से 22, 25, 43
8. भ्रष्टाचार (निवारण) अधिनियम 1988 धारा 7 से 13, 17, 19, 20 यथासंशोधित वर्ष 2018
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम 1989 धारा 2 से 7, 8, 10, 12, 13, 15ए, 16, 17, 19, 20, 22
10. विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 से 141
11. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 धारा 2 से 8क तक
12. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 8, 15 से 32, 37, 36अ, 41 से 68
13. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 महत्वपूर्ण धारायें–(विचारण सम्बन्धी) 2, 7, 10, 15, 31, से 34, 74, 75, 94, 107 नियम 8, 9, 10, 63,
14. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 धारा 2, 3, 11, 12, 13, 33, 34
15. सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 धारा 3, 4, 7, 8, 13, 13क
16. अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम–1956 धारा 1 से 18, 20, 21
17. लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984 धारा 2 से 6
18. मोटर वाहन अधिनियम 1988(संशोधित) धारा 177 से 179, 181, 183 से 187, 190, 192, 194, 196, 197, 200, 202, 207
19. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005 (सामान्य परिचय) धारा 2, 3 से 11, 12, 23
20. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 2012 (महत्वपूर्ण धाराएं) 3 से 13 तक 15, 16, 17, 18, 21
21. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिशेध एवं उपचार) अधि0 2013) 2, 3, 4, 6, 9, 14
22. सराय अधिनियम 1867 धारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 सपठित उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) नियमावली 2023 नियम 2, 5 से 8
23. सूचना प्रौद्योगिकी अधि0 2000–धारा 65 से 73
24. सूचना का अधिकार अधिनियम 2006– धारा–8

राज्य के अधिनियम

कालांश : 18

1. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 धारा 2 से 4, धारा 12, धारा 14 से 19 तक तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के नियम–18, 21, 26 अध्याय–5 और अध्याय–6
2. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 धारा 3, 4, 5, 10, 11
3. उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 धारा, 48 से 52, 54 से 70, 72
4. गोवध निवारण अधिनियम 1955 (सम्पूर्ण) यथासंशोधित–2015
5. उ0प्र0 वृक्षों का संरक्षण अधि0 1976 धारा 2 से 10, 13
6. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 63, 64, 65
7. यू0पी0 पी0ए0सी0 एक्ट 1948 धारा 1, 4 से 8, 11

केस लॉ

कालांश : 16

संविधान एवं मानवाधिकार

1. **मानवाधिकार एवं गिरफ्तारी**
   दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य, 1997 एस०सी०सी० 642 जोगेन्द्र कुमार बनाम उ०प्र० राज्य, 1994 सी०आर०एल० जे० 1981
   गिरफ्तारी के समय/गिरफ्तार किये जा रहे व्यक्ति के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश दिये गये है।

2. **परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए०आइ०आर० 1989 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039)**
   एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सीय को घायल व्यक्ति का उपचार तत्काल बिना इस बात की प्रतीक्षा किया जाना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) पंजीकृत हुई अथवा नहीं।

3. **खड़क सिंह बनाम उ०प्र० सरकार (ए०आई०आर० 1963 एसी पृष्ठ 1925)**
   माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि बिना किसी विधिक प्राधिकार के पुलिस कर्मियों द्वारा मात्र पर्यवेक्षण के नाम पर किसी व्यक्ति को घर में रात्रि के समय नियमित रूप से जाना और वहां जाकर उसकी

उपस्थिति दर्ज कराना स्पष्टतया उस व्यक्ति के जीवन व दैहिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप है।

4. **खेड़त मजदूर चेतन संगठन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए०आई०आर० 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ)**

पुलिस का कर्तव्य अपने कानूनी अधिकारों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों की सुरक्षा करना है न कि उन्हें यातना देना।

5. **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**

पुलिस इन्काउन्टर में मृत्यु एवं गंभीर चोटों के प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा–निर्देश

6. **अग्रिम विवेचना**

मिश्री प्रसाद बनाम उ०प्र० राज्य आपराधिक पुनरीक्षण सं०–2715ध्17 निर्णय दिनांक 20.09.2017 माननीय उच्च न्यायालय इला० द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अमृत भाई शम्भू भाई पटेल बनाम सुमन भाई कांति भाई पटेल एवं अन्य (2017) 4 एस.सी.सी. 177 के आलोक में निर्णय पारित किया गया कि पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के उपरांत मजिस्ट्रेट या तो स्वयं या वादी के आवेदन पर या अभियुक्त के आवेदन पर अग्रिम विवेचना का निर्देश नही दे सकता है। यह प्रक्रिया केवल अन्वेषण एजेंसी के समक्ष प्रार्थना–पत्र देकर अपनाई जा सकती है, जबकि ऋजू अन्वेषण एवं विचारण के लिए तात्विक साक्ष्य की खोज की जानी आवश्यक हो।

7. **वीनू भाई हरि भाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2019 एस0सी0 5233**

इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के उपरांत अग्रिम विवेचना हेतु आदेश पारित किये जाने की शक्ति प्राप्त है। यदि पत्रावली ऐसा अनुमान इन्गीत करती है कि इस प्रकार का आदेश न किये जाने पर प्रभाव न्यायपूर्ण निर्णय नही होगा।

दंड प्रकिया संहिता/भारतीय दंड संहिता

1. **प्रथम सूचना में देरी**
   राजस्थान राज्य बनाम एन.के. एससीसी 2000 पृष्ठ 30
   प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी किन परिस्थितियों में क्षम्य है, यह व्यवस्था इस निर्णय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी है।

2. **शौकीन बनाम उ0प्र0 राज्य 2011 (75) एसीसी 763(इलाहाबाद उच्च न्यायालय)**
   मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि 7 वर्ष तक की सजा तक के अपराधों में पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 41 में दर्शाये गये आधारों का अनुपालन करना चाहिए।

3. **अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2014)8 एससीसी 273**
   माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए बिस्तृत दिशा–निर्देश

4. **सुन्दरभाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (उम0नि0प0 2003 पृष्ठ 338)**
   पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति के धारा 451 एवं 457 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निस्तारण के बारे में मा0 उच्चतम न्यायालय ने दिशा–निर्देश दिये हैं।

5. **ब्रजलालभर बनाम उ0प्र0 राज्य 2006 (55) एसीसी 864 सर्वोच्च न्यायालय**
   यदि थाने पर मामला असंज्ञेय मामले के रूप में (एन0सी0आर0) दर्ज होता है और बाद में साक्ष्य के आधार पर संज्ञेय मामले में परिवर्तित हो जाता है, तो विवेचना करने के लिए पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

6. **तापस डी0 नियोगी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1999 कि0लॉ0ज0 4305 सर्वोच्च न्यायालय**
   अभियुक्त का बैंक एकाउन्ट धारा 102 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के दौरान ऐसे एकाउन्ट को सीज करने का या उसका परिचालन बन्द करने का अधिकार है।

7. **ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य रिट याचिका संख्या (क्रिमिनल) 68/2008**
   मा0 उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि कुछ अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञोय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है।

8. **गुजरात राज्य बनाम किशन भाई (2014) सर्वोच्च न्यायालय–याचिका संख्या (क्रिमिनल) 1485/2008**
   जॉच एजेंसियों की विवेचना खामियों पर आधारित

9. **सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सीबीआई (2022) सर्वोच्च न्यायालय – विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल) 5191/2021**
   07 वर्ष से कम सजा वाले मामले में यदि अभि0 न्यायालय में पेश होता है तो उसे Physical custody में नही लिया जायेगा वशर्ते उसके द्वारा 07 वर्ष की सजा से अधिक दण्डनीय अपराध, मृत्यु या आजीवन कारावास दण्डनीय अपराध तथा आर्थिक अपराधों में अभियुक्त संलिप्त न हो।

10. **सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली 2020 सर्वोच्च न्यायालय – विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल) 7281–7282/2017**
    जॉच एजेंसियों की विवेचना खामियों पर आधारित

साक्ष्य अधिनियम

1. **मृत्युकालिक कथन उकाराम बनाम राजस्थान राज्य ए०सी०सी० 2001 पृष्ठ 972 (उच्चतम न्यायालय)**
   माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता एवं कथन अंकित करते समय बरती जाने वाली सावधानियां पर प्रकाश डाला गया है।

2. **अन्य–**भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बलात्कार की शिकार पीड़ित महिला के मेडिकल परीक्षण के समय टू–फिंगर टेस्ट को अनुमन्य न किये जाने के संबंध में निर्देश।

3. **कर्नाटक राज्य बनाम टी० नशिर 2023 सर्वोच्च न्यायालय इस मामलें में उच्चतम न्यायालय** ने यह निर्णय दिया कि धारा 65 (बी) साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को साबित करने के लिए प्रमाण–पत्र विचारण में किसी भी प्रक्रम पर दिया जा सकता है।

4. **मुनिकृष्णा उर्फ कृष्णा आदि बनाम राज्य आपराधिक अपील सं0 1597/2022 सर्वोच्च न्यायालय** इस मामले में माननीय उच्चम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस द्वारा वीडियों रिकार्डिंग के माध्यम से अभिलिखित की गयी स्वीकृति साक्ष्य में अग्राह्य है।

(ग)– तृतीय समूह– कानून एवं व्यवस्था, पुलिस रेग्यूलेशन

कालांश–38 **पूर्णांक–40**

कानून एवं व्यवस्था

कालांश–22

1. **कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में जनता की भागीदारी की आवश्यकता**
2. **थाना स्तर पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता व उसके विभिन्न प्रकार –**
   - (क) असामाजिक तत्वों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र करना।
   - (ख) थाना स्तर पर बीट व्यवस्था
3. **भीड़ नियंत्रण –**
   - (क) भीड़ नियंत्रण के सिद्धान्त तथा जवाबी रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थता।
   - (ख) शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ रोकथाम की कार्यवाही
   - (ग) थाना की दंगा नियंत्रण योजना का ज्ञान
   - (घ) औद्योगिक विवादों के समय पुलिस व्यवस्था (बन्द, हड़ताल व प्रदर्शन) आदि
   - (ड.) हिंसक आन्दोलन व विधि विरूद्ध जमाव (साम्प्रदायिक, राजनैतिक, विधार्थी वर्ग, किसानों व मजदूर वर्ग) आदि के विवादों पर नियंत्रण
   - (च) हिंसक आन्दोलन के समय पुलिस बल प्रयोग करने के प्राविधान जिसमें पुलिस फायरिंग भी सम्मिलित है।
4. **मेला प्रबन्धन –**
   - (क) मेला क्षेत्रों का सेक्टरों में बांटकर पुलिस बल की नियुक्ति
   - (ख) यातायात व्यवस्था
   - (ग) घुड़सवार, अग्निशमन पुलिस की व्यवस्था
   - (घ) संचार व्यवस्था
   - (ड.) अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त व्यवस्था आदि
5. **त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था –**
   - (क) त्यौहार रजिस्टर में पर्व सम्बन्धी नोट्स का अवलोकन करना
   - (ख़) संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की नियुक्ति करना
   - (ग) यातायात व्यवस्था करना

6. चुनाव के समय पुलिस व्यवस्था –

(क) Vulnerability Mapping /Criticality Assessment

(ख) क्रिटिकल, संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित करना व अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कराना

(ग) चुनाव पूर्व, मतदान, मतगणना के दौरान व मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को शान्तिपूर्वक मतदान करने का वातावरण प्रदान करना

(घ) विधि विरूद्ध कार्य करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना

7. यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन –

1. यातायात चिन्ह एवं सिग्नलों का ज्ञान
2. ट्रैफिक जाम के समय यातायात व्यवस्था
3. यातायात सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान

8. विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था –

1. व्यक्तियों एवं संस्थानों की सुरक्षा का महत्व व आवश्यकता
2. विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर पुलिस व्यवस्था व सुरक्षा के नियम

9. आपदा प्रबंधन –

1. आकस्मिक दुर्घटनायें – भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़ आदि
2. उक्त दुर्घटनाओं की कार्य योजना एवं उत्तरदायित्व
3. सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं में पुलिस का उत्तरदायित्व

पुलिस रेग्युलेशन

कालांश–16

1. पुलिस रेग्युलेशन :–

अध्याय–1 (अधिकारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य–वरिष्ठ अधिकारीगण) पैरा 1 से 17

अध्याय–5 (सिविल पुलिस के सब इन्सपेक्टर और उनसे नीचे के पदाधिकारी, पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी)पैरा 51, 55 से 58 तथा 59

अध्याय–9 (ग्राम पुलिस) पैरा 89 से 96

अध्याय–10 (थाने में की गयी सूचनाएं) पैरा 97 से 103

अध्याय–11 विवेचना (तफतीश) पैरा 104, 105

अध्याय–12 पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार पैरा 129 से 146

अध्याय–13 (निग्रह करना, जमानत तथा अभिरक्षा में रखना) पैरा 147 से 164

अध्याय–14 (सम्पत्ति का संरक्षण तथा प्रबन्ध) पैरा 165, 173
अध्याय–15 (मुख्य–मुख्य अपराध) पैरा 174 से 178
अध्याय–17 पेट्रोल और पिकेट्स (गश्त तथा नाकाबन्दी) पैरा 190 से 194
अध्याय–19 (फरार अपराधी) पैरा 215 से 222
अध्याय–20 (दुराचारियों के नाम रजिस्टर में अंकित करना और उनकी निगरानी) पैरा 223 से 275
अध्याय–22 अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज
अध्याय–23 (हिसाब–किताब जो थानों पर रखे जाते हैं) पैरा 301 से 308 ड्रेस रेगुलेशन

2. उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली– संक्षिप्त परिचय

(घ)– चतुर्थ समूह– (अपराध निरोध, विवेचना एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण)

कालांश–48 **पूर्णांक–50**

(क) अपराध का निरोध –

1. गश्त एवं निगरानी
2. ग्राम सुरक्षा समिति, मौहल्ला सुरक्षा समिति
3. ग्राम चौकीदार का सहयोग प्राप्त करना
4. अपराधिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, जनता की शिकायतों की जॉच

(ख) निरोधात्मक कार्यवाही –

1. धारा 126/135/135(3)/170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 का प्रभावी प्रयोग।
2. सम्पत्ति विवाद व धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 का प्रभावी प्रयोग।
3. धारा 129 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की कार्यवाही
4. धारा 148 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की कार्यवाही

(ग) विवेचना –

1. विवेचक के विशेष गुण एवं उसके अधिकार :– व्यक्तिगत, व्यवहारिक और सामान्य उपयोगी गुण
2. विवेचना के सिद्धान्त
3. जॉच व विवेचना में अन्तर
4. घटना की सूचना का पंजीकरण

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल प्रति न्यायालय भेजना, विवेचना का निर्णय, प्रारम्भिक विवेचना, निरीक्षण घटनास्थल, घटनास्थल का मानचित्र तैयार करना
6. घटना की पुष्टि हेतु साक्ष्य संकलन (कथन व चिकित्सीय परीक्षण)
7. अभियुक्त की गिरफ्तारी व गिरफ्तारी कैसे की जायेगी
8. अभियुक्त के अधिकार
9. कार्यप्रणाली, आधार–भूत तथ्यों का वर्गीकरण, कार्य प्रणाली विधि की सीमायें, संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ, पूछताछ के सामान्य सिद्धान्त व सावधानियां।
10. मुत्यु कालीन कथन लिखते समय सावधानी
11. सूत्रों (मुखबिरों) द्वारा दी गयी सूचना, सावधानियां, आपराधिक सूचना के विभिन्न स्त्रोत व उनका उपयोग करने में सावधानियां, उपयोगी सूत्रों की तलाश।
12. गिरफ्तारी के पश्चात् पूछतॉछ, तलाशी व बरामदगी (सार्वजनिक स्थान, बन्द स्थान) पर फर्द तैयार करना व सुपुर्दगीनामा तैयार करना
13. गिरफ्तार/आत्मसमर्पण अभियुक्त हेतु चिकित्सीय परीक्षण/रिमांड प्रक्रिया
    (1) न्यायिक रिमांड (2) पुलिस रिमांड धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 की उपयोगिता एवं अभियुक्त का कथन
14. बरामद वस्तु की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति
15. संदिग्ध अवस्था में शव (मृत्यु समीक्षा)
    (1) उ0नि0/थानाध्यक्ष/कार्यपालक मजि0 द्वारा पंचायतनामा तैयार करना एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने वाले अभिलेखों का ज्ञान
    (2) गड़े शव को जमीन में निकालने की प्रकिया
16. माल मुकदमाती को सुरक्षित रखना व यथाशीघ्र परीक्षण हेतु भेजना (एन.डी. पी.एस. एक्ट व विसरा)
17. अभियुक्त की उपस्थिति हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 84/85 की रिपोर्ट/कार्यवाही, उद्घोषित अपराधी
18. कार्यवाही शिनाख्त (व्यक्ति व माल)
19. आरोप पत्र/अन्तिम रिर्पोट एवं मफरूरी की कार्यवाही
20. माल निस्तारण की प्रकिया
21. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 193 के अन्तर्गत रिपोर्ट व समय से न्यायालय में प्रस्तुति/कार्यवाही, 193(9) की कार्यवाही
22. अपराध स्वीकार करने वाले अपराधियों के बयान, स्वीकृति व संस्वीकृति का अंतर, संस्वीकृति का प्रकार

(घ) विशिष्ट अपराधों की विवेचना केस डायरी तैयार करना–

1. शरीर के विरूद्ध अपराध –
   (क) हत्या
   (ख़) बलात्कार
2. सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध –
   (क) लूट व डकैती
   (ख़) वाहन चोरी
3. निरोधात्मक कार्यवाही के अपराधों का वर्ग –
   (क) गैंगस्टर एक्ट
   (ख़) एन0डी0पी0एस0 एक्ट

(ड़) नए आपराधिक कानूनों के अन्तर्गत अन्वेषण हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं मानक संचालन प्रकियाएं

(च) अभियोजन –

1. जनपदीय न्याययिक व्यवस्था व मुकदमों की पैरवी।

(च)– पंचम समूह–(विधि विज्ञान, विधि औषधि, पुलिस संवेदीकरण तथा कम्प्यूटर)

कालांशः 38 **पूर्णांकः 40**

विधि विज्ञान

1. अपराध के घटनास्थल को सुरक्षित रखना व परीक्षण करना तथा फोटोग्राफी
2. भौतिक साक्ष्यों का एकत्रण, घटनास्थल से विभिन्न पदार्थों का उठाना व पैक करना
3. छाप अंगुष्ठ
4. हस्त चिन्ह
5. बाल एवं रेशे
6. रक्त, रक्त के धब्बे, ऊतक, हड्डियों एवं लार आदि की पहचान उपयोग एवं परीक्षण
7. बलात्कार के घटनास्थल/पीड़ित (मृत/जीवित) से भौतिक साक्ष्य एकत्रित करना एवं परीक्षण हेतु भेजना तथा इसके दौरान बरती जाने वाली सावधानियॉं
8. सुरा, एल्कोहल, टोडी, स्वापक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ
9. टॉक्सीकोलॉजी –
   (क) विभिन्न प्रकार के विष, विषैले पदार्थ एवं उनकी पहचान तथा इनके प्रभाव से मृत/जीवित व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों की पहचान।

(ख) विसरा प्रिजर्वेशन

(ग) जहरखुरानी के अपराधों में प्रयोग में लाई जाने वाली दवाईयॉ

10. बैलस्टिक –

(क) आग्नेयास्त्र, कारतूस, बुलेट, छर्रे, टिकलियॉ एवं फायरिंग के द्वारा प्रभावित अन्य पदार्थ द्वारा

(ख) फायरिंग की दूरी का निर्धारण, रिकोचेटिंग, नाइट्राइट रेजीड्यू टैस्ट, विभिन्न प्रकार के मार्क्स आदि।

11. भौतिकी –

(क) आग्नेयास्त्र एवं वाहनों के मिटाये गये चिन्हों को पुनः जागृत करना

(ख) वाहनों के चेसिस एवं इंजन नंबर परिवर्तित करना (परीक्षण एवं पहचान)

12. हस्तलेख, लिप्त लेखन

13. डी.एन.ए. की जॉच एवं उपयोगिता

विधि औषधि

1. जीवित व मृत व्यक्तियों की पहचान एवं आयु निर्धारण के तरीके
2. गम्भीर अपराधों के घटनास्थल का निरीक्षण एवं विधि चिकित्सीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण
3. चोटों का वर्गीकरण, मृत्यु पूर्व व मृत्यु के पश्चात आई चोटों का ज्ञान।
4. मृत्यु, मृत्यु के कारण (हत्या, आत्महत्या, दुघर्टना, फॉसी, गला दबाना, श्वांस घुटना)
5. शव परीक्षा, विभिन्न प्रकार के विकृत शव व अस्थि अवशेषों का परीक्षण

पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली

1. पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली– वी0एच0यू0, रिपीटर, यू0एच0एफ0 संचार प्रणाली, एच0एफ0, पोल नेट।
2. रेडियो संदेश लिखना, संदेशों का वर्गीकरण एवं प्राथमिकताएं।
3. वायरलैस सेटों की हैण्डलिंग।
4. हैण्ड हैल्ड, स्टैटिक, मोबाइल, वायरलैस सेट पर कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान।
5. सी0सी0आर0, डी0सी0आर0 की कार्यप्रणाली
6. डायल 112 की कार्यप्रणाली

पुलिस संवेदीकरण

(I) मानवाधिकार एवं उससे संबंधित समस्यायें–

1. मानवाधिकार और संवैधानिक प्राविधान
2. मानवाधिकार के संरक्षण व संवर्धन में पुलिस की भूमिका
3. बच्चों व महिलाओं के विरूद्ध अपराध–भा0द0वि0, द0प्र0सं0 और साक्ष्य अधि0 में संशोधन
4. बाल मजदूरी/बंधुओं मजदूरी की समस्या एवं पुलिस की भूमिका

(II) पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ–

(क) पुलिस की भूमिका व जनसहयोग

1. पुलिस का जनता, जनप्रतिनिधियों के साथ संबंध
2. पुलिस का स्वयंसेवी संस्थाओं से संबंध

(ख) पुलिस का समाज के अन्य वर्गो के प्रति दृष्टिकोण

1. पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण एवं व्यवहार व कानूनी दृष्टि से पुलिस का अपेक्षित व्यवहार
2. पुलिस का समाज के दलित व पिछड़े वर्गों के प्रति अपेक्षित दृष्टिकोण व अपेक्षित व्यवहार

(ग) जैण्डर सेंसिटाइजेशन

1. महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं अत्याचार के प्रकार एवं कारण
2. पुलिस थाना स्तर पर पीड़ित महिलाओं के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया
3. महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के अन्वेशण एवं अभियोजन में कमियां एवं सुधार
4. विभिन्न अपराधों एवं अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से साक्षात्कार की विधियाँ

(III) पुलिस का जनसामान्य से सद्व्यवहार एवं आचरण –

1. अच्छे पुलिस अधिकारी के गुण
2. संवाद कौशल (Communication Skills-Media)
3. तनाव चिंता/प्रबन्धन (Stress / Anxiety Management)
4. नैतिकता/अखंडता/पुलिस की छवि (Ethics/ Intergrity/ Police Image)
5. भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)
6. पुलिस/आमजन सम्बन्ध/सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing)
7. आचार संहिता और नैतिकता (Code of Conduct & Ethics)
8. समानुभूति और सहयोग (Empathy and Cooperation)

कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सी.सी.टी.एन.एस.

1– कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय– सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण–जैसे पैन ड्राइव आदि

2– इन्टरनेट का उपयोग

3– पोर्टेट बिल्डिंग सिस्टम का परिचय

4– पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज / साफ्टवेयर

- Heinous Crime Monitoring System
- Missing Persons
- Track the Missing child
- Unidentified Bodies
- Stolen Vehicle Query (NCRB)
- iRAD
- NAFIS
- E-CHALLAN
- E-PRISONS
- TRINETRA
- UPCOP

5– Cyber Crime एवं इसके निवारक उपाय / प्रक्रिया

- CCTV फुटेज की पुलिस कार्य में उपयोगिता
- Drone का कानून व्यवस्था / अपराध नियंत्रण में प्रयोग
- सोशल मीडिया पर अफवाह / फेक न्यूज को फैलने से रोकने के उपाय
- इलैक्ट्रॉनिक सर्विलान्स एवं CDR / IPDR का विश्लेषण

6– सी0सी0टी0एन0एस0

1. Registration Module
   a. GD Registration
2. Investigation Module
   a. Crime Details
   b. Case Diary
   c. Bail
   d. Criminal Dossier
   e. Modification of Section
   f. Arrest Form
   g. Charge sheet
3. Data Bank Module
   a. Vehical Theft
4. Citizen Services Module
5. Extension Module
6. Central Services

26. पाठ्यक्रम बाह्य विषय –

1. पी0टी0	
कालांश – 26	पूर्णांक – 50

2. योगासन	
कालांश – 26	पूर्णांक – 50

नोटः– पी0टी0 के विशिष्ट व्यायामों एवं योगासन के आसन/बन्ध/प्राणायाम का निर्धारण समय–समय पर पुलिस महानिदेशक,प्रशिक्षण द्वारा किया जायेगा।

3. शस्त्र प्रशिक्षण

कालांश–8

क0सं0	विषय
1	5.56 इंसास रायफल ट्रैंच करना एवं वैपन पिट करना
2	7.62 एमएम एसएलआर/ ए0के0 47 रायफल एवं 5.56 इंसास रायफल थ्योरी
3	पिस्टल/रिवाल्वर की हैण्डलिंग/फायरिंग प्रैक्टिस

नोटः–

(1) शस्त्र प्रशिक्षण विषय को 08 कालांश निर्धारित किए जाते हैं। इस विषय की अन्तिम परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(2) प्रतिदिन सायंकाल परेड मार्च आफ के पश्चात सुविधानुसार टोलीवार खेलों का आयोजन किया जाए।

27. प्रशिक्षण पाठयक्रम में संशोधन–

यदि उपरोक्त पाठयक्रम में किसी संशोधन की आवश्यकता समझी जायेगी तो संबंधित संस्था प्रमुख उन बिन्दुओं को प्रशिक्षण निदेशालय को संदर्भित करेंगे। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लेकर पाठयक्रम में संशोधन हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

29.6.24

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।